ख़्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती भाषा विश्वविद्यालय, लखनऊ

Khwaja Moinuddin Chishti Language University, Lucknow

(Uttar Pradesh State Government University)

पत्रांकः 1155/भाविवि/कुसका/2024/ दिनांक : 31 अगस्त, 2024

कार्य परिषद् की कार्यवाही

दिनांक 31 अगस्त, 2024 को प्रातः 11:00 बजे विश्वविद्यालय के प्रशासनिक भवन स्थित सभागार कक्ष में कार्य परिषद् की आकस्मिक बैठक की कार्यवाही :

बैठक में निम्नलिखित सदस्यगण उपस्थित रहे :

1.	प्रो० एन०बी० सिंह, मा० कुलपति	अध्यक्ष
2.	माननीय न्यायमूर्ति श्री अनिल कुमार ओझा (से.नि.), निवास 3/494, विकल्प खण्ड गोमती नगर, लखनऊ–226010	(न्यायिक) सदस्य
3.	प्रो० जय शंकर प्रसाद पाण्डेय, डिपार्टमेंट ऑफ सोशियोलॉजी, बप्पा श्री नारायन वोकेशनल पी०जी० कॉलेज (के०के०वी०), चारबाग, लखनऊ।	सदस्य
4.	प्रो० ललिता राव, सेवानिवृत्त बी०एड० विभाग, उदय प्रताप स्वायत्तशासी पी०जी० कॉलेज वाराणसी। (ऑनलाइन प्रतिभाग)	सदस्य
5.	प्रो० सुधांशु पांड्या, डीन एवं डायरेक्टर–स्कूल ऑफ मैनेजमेंट, सी०एस०जे०एम० यूनिवर्सिटी, कानपुर। (ऑनलाइन प्रतिभाग)	सदस्य
6.	श्री फौजान अलवी, एक्ज़ीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ अलाना सन्स प्राइवेट लिमिटेड, 10 सिन्धिया हाउस, ।। तल, कलाट प्लेस, नई दिल्ली। (ऑनलाइन प्रतिभाग)	सदस्य
7.	प्रो० चन्दना डे, संकायाध्यक्ष–सामाजिक विज्ञान (ऑनलाइन प्रतिभाग)	सदस्य
8.	प्रो० सैयद हैदर अली, संकायाध्यक्ष–वाणिज्य	सदस्य
9.	प्रो० मसऊद आलम, आचार्य–अरबी विभाग, सदस्य–अन्य पिछड़ा वर्ग	सदस्य
10.	प्रो० एहतेशाम अहमद, आचार्य–वाणिज्य, सदस्य–अन्य पिछड़ा वर्ग	सदस्य
11.	प्रो० फखरे आलम, आचार्य–उर्दू विभाग	सदस्य
12.	प्रो० सौबान सईद, आचार्य–उर्दू विभाग	सदस्य
13.	डॉ० मुशीर अहमद, सह आचार्य, व्यवसाय प्रशासन विभाग	सदस्य
14.	डॉ० रूचिता सुजय चौधरी, सहायक आचार्य, पत्रकारिता एवं जन संचार (ऑनलाइन प्रतिभाग)	सदस्य
15.	डॉ० बुशरा अल्वेरा सहायक आचार्य–शिक्षाशास्त्र विभाग	सदस्य
16.	श्री साजिद आज़मी वित्त अधिकारी	विशिष्ट आमंत्री
17.	डॉ० महेश कुमार कुलसचिव	सचिव

सर्वप्रथम कुलसचिव द्वारा कार्य परिषद् के समस्त उपस्थित सदस्यों का स्वागत किया गया और तद्उपरान्त माननीय कुलपति जी की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गयी। कार्य परिषद् द्वारा प्रस्तुत कार्यसूची पर निम्नांकित निर्णय लिया गया :–

1/–

बिन्दु संख्या–1 :

माननीय कुलाधिपति महोदया, राजभवन, लखनऊ के आदेश संख्या–6174/जी0एस0 दिनांक 14 अगस्त, 2024 से कार्य परिषद् को अवगत कराते हुए अग्रेतर कार्यवाही किये जाने पर विचार।

निर्णय :

कुलसचिव द्वारा कार्यपरिषद को सन्दर्भित प्रकरण के सम्बन्ध में अवगत कराया गया कि वर्ष 2020 में विश्वविद्यालय में संविदा शिक्षकों की नियुक्ति की गई थी, जिसमें डॉ0 मानवेन्द्र सिंह को स्ववितत्पोषित योजनान्तर्गत संचालित बायोटेक्नोलॉजी विभाग, अभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी संकाय में सहायक आचार्य (संविदा) के पद पर चयन समिति द्वारा नियुक्त किया गया था।

विश्वविद्यालय में वर्ष 2020 में हुई नियमित एवं संविदा शिक्षकों की नियुक्तियों के सम्बन्ध में राजभवन को प्रेषित विभिन्न शिकायती पत्रों में उल्लिखित शिकायतों की जॉच हेतु गठित समिति द्वारा संविदा शिक्षकों की शैक्षिक अर्हता आदि का परीक्षण न किये जाने के क्रम में दिनांक 02.01.2022 को सम्पन्न कार्यपरिषद की आकस्मिक बैठक में विश्वविद्यालय में स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत विभिन्न विभागों में चयनित संविदा शिक्षकों की शैक्षिक अर्हता की जॉच यू0जी0सी0/ए0आई0सी0टी0ई0 में उल्लिखित मानकों के सापेक्ष कराने हेतु त्रिसदस्यीय जॉच समिति का गठन किया गया। जॉच समिति द्वारा सन्दर्भित जॉच कर दिनांक 20.12.2022 को अपनी प्रारम्भिक जॉच आख्या प्रस्तुत की गयी, जिसको विश्वविद्यालय कार्यपरिषद की आकस्मिक बैठक दिनांक 23 दिसम्बर, 2022 में प्रस्तुत किया गया। प्रारम्भिक जॉच आख्या को कार्यपरिषद द्वारा स्वीकार करते हुए इसे अन्तिम जॉच हेतु विश्वविद्यालय परिनियमावली में दी गई व्यवस्था के अनुरूप दिनांक 24.09.2022 को पूर्व में गठित अनुशासनिक समिति को संदर्भित कर दिया गया।

अनुशासनिक समिति द्वारा डॉ0 मानवेन्द्र सिंह की अन्तिम जॉच रिपोर्ट दिनांक 25.11.2023 एवं 05.01.2024 को विश्वविद्यालय को सौंपी गयी, जिसको कार्यपरिषद की बैठक दिनांक 06.01.2024 में स्वीकार करते हुए अभ्यावेदन प्राप्त किये जाने के निर्देश दिये गये। डॉ0 मानवेन्द्र सिंह द्वारा दिनांक 02.02.2024 को अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत किया गया। उक्त अभ्यावेदन का लिफाफा माननीय कार्यपरिषद की बैठक दिनांक 02.03.2024 में खोला गया। कार्यपरिषद द्वारा कुलसचिव को अभ्यावेदन की summary तैयार कर आगामी कार्यपरिषद में प्रस्तुत किये जाने के निर्देश दिये गये। डॉ0 मानवेन्द्र सिंह के प्रकरण को कुलसचिव द्वारा कार्यपरिषद की आकस्मिक बैठक दिनांक 10.03.2024 में प्रस्तुत किया गया। कार्यपरिषद द्वारा सम्बन्धित अभिलेखों का अध्ययन् एवं गहन विचार–विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से निम्नवत् विवेचना की गयी–

"अनुशासनिक समिति द्वारा प्रस्तुत जॉच आख्या एवं तद्क्रम में प्राप्त अभ्यावेदन पर विस्तृत विचार–विमर्श किया गया। विचारोपरान्त पाया गया कि डॉ0 मानवेन्द्र सिंह सम्बन्धित पद हेतु न्यूनतम अर्हता पूरी नहीं करते हैं।"

माननीय कार्यपरिषद के उपरोक्त विवेचना के क्रम में निम्नवत् दण्ड अधिरोपित किये जाने का निर्णय लिया गया है–

"सेवा से हटाने (removal from service) का निर्णय लिया गया।"

2/–

कार्यपरिषद के उपरोक्त निर्णय के अनुपालन में डॉ0 मानवेन्द्र सिंह, सहायक आचार्य, बायोटेक्नोलॉजी विभाग, अभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी संकाय को तत्काल प्रभाव से संविदा विखण्डित करते हुए सेवा से हटाया (removal from service) गया।

उक्त निर्णय पर डॉ0 मानवेन्द्र सिंह द्वारा माननीय उच्च न्यायालय खण्डपीठ लखनऊ में रिट याचिका दायर की गयी। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा प्रकरण पर निम्नवत् निर्देश पारित किये गये–

> *"......................In view of the above and without entering into the merits of the case, the respondent no.2 is directed to consider and decide the reference dated 20.3.2024 pending before him within a period of eight weeks from the date a certified copy of this order is produced before him.*
>
> *With the aforesaid observations, the writ petition is* ***disposed of."***

उपरोक्त निर्णय के अतिरिक्त डॉ0 मानवेन्द्र सिंह द्वारा दिनांक 21.03.2024 को माननीय कुलाधिपति महोदया को उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम–1973 की धारा–68 में अपना प्रत्यावेदन प्रस्तुत किया गया। उक्त प्रत्यावेदन में उठाये गये बिन्दुओं के सम्बन्ध में राज्यपाल सचिवालय द्वारा प्रस्तरवार सुस्पष्ट आख्या उपलब्ध कराने हेतु विश्वविद्यालय को पत्र प्रेषित किया गया। जिसके क्रम में विश्वविद्यालय द्वारा दिनांक 18.06.2024 को अपनी आख्या राज्यपाल सचिवालय को प्रस्तुत की गयी। जिसके उपरान्त डॉ0 मानवेन्द्र सिंह के सम्बन्ध में माननीय कुलाधिपति महोदया के आदेश संख्या–6174/जी0एस0 दिनांक 14 अगस्त, 2024 निर्गत कर विश्वविद्यालय को प्रेषित किया गया।

कुलसचिव द्वारा माननीय कुलाधिपति महोदया द्वारा पारित आदेश संख्या–6174/जी0एस0 दिनांक 14 अगस्त, 2024 में निम्नवत् निष्कर्ष को पढ़कर कार्यपरिषद के समस्त सदस्यों को सुनाया गया :–

> *"...................14(क) ....विधि व्यवस्था के आलोक में कार्य परिषद की बैठक दिनांक 10.03.2024 में लिया गया निर्णय एवं तदक्रम में विश्वविद्यालय द्वारा निर्गत प्रश्नगत आदेश दिनांक 10.03.2024 निरस्त किया जाता है।*
>
> *14(ख) उपर्युक्त के साथ ही, प्रत्यावेदक की नियुक्ति प्राधिकारी, विश्वविद्यालय की कार्य परिषद को प्रकरण इस निर्देश के साथ प्रति प्रेषित किया जा रहा है कि कार्य परिषद द्वारा एक उच्चस्तरीय समिति का गठन कर उपर्युक्त विनियम, 2019 व अन्य सुसंगत विनियमों/नियमों की व्यवस्था के आलोक में, प्रत्यावेदक को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए, उसकी अर्हता पर परीक्षणोपरान्त सुविचारित निर्णय लेकर छः सप्ताह की अवधि में, सकारण आदेश द्वारा प्रकरण का निस्तारण सुनिश्चित किया जाये।"*

कुलसचिव द्वारा यह भी अवगत कराया गया कि उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 एवं ख़्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती भाषा विश्वविद्यालय की प्रथम परिनियमावली में उच्च स्तरीय समिति का गठन किये जाने सम्बन्धी कोई प्राविधान अंकित नहीं है। अग्रेत्तर विश्वविद्यालय परिनियमावली के आलोक में पूर्व में ही अनुशासनिक समिति का गठन कर उसकी आख्या को कार्य परिषद् में प्रस्तुत कर निर्णय लिया जा चुका है।

3/–

कुलाधिपति महोदया के आदेश दिनांक 14.08.2024 में पात्रता एवं मापदण्ड ए0आई0सी0टी0ई0 विनियम 2019 पर ही विशेष ज़ोर दिया गया है। अतः कार्य परिषद् द्वारा व्यापक विचार–विमर्श के उपरान्त कुलाधिपति महोदया के आदेश के अनुपालन में एक उच्च स्तरीय समिति के गठन किये जाने का निर्णय लिया गया। यह भी निर्णय लिया गया कि प्रकरण ए0आई0सी0टी0ई0 के मानकों के सम्बन्ध में है अतः समिति के गठन में ए0आई0सी0टी0ई0 से सम्बन्धित विशेषज्ञों को रखा जाना उचित होगा। सर्वसम्मति से निम्नवत् उच्च स्तरीय समिति गठित किये जाने का निर्णय लिया गया–

1. प्रो0 जय प्रकाश सैनी, कुलपति : अध्यक्ष
   मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, गोरखपुर
2. प्रो0 शमशेर, कुलपति : सदस्य
   हरकोर्ट बटलर प्राविधिक विश्वविद्यालय, कानपुर
3. प्रो0 एस0पी0 शुक्ल, निदेशक, : सदस्य
   राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज, बांदा
4. प्रो0 रचना अस्थाना, निदेशक, : सदस्य
   डॉ0 अम्बेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर दिव्यांगजन
   उ0प्र0, कानपुर
5. प्रो0 ललित कुमार सिंह, विभागाध्यक्ष–बायो कैमिकल इंजीनियरिंग : सदस्य
   हरकोर्ट बटलर प्राविधिक विश्वविद्यालय, कानपुर

समिति सन्दर्भित प्रकरण का अभातशिप विनियम 2019 व अन्य सुसंगत विनियमों/नियमों की व्यवस्था के आलोक में, प्रत्यावेदक को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए, उसकी अर्हता के सम्बन्ध में परीक्षणोपरान्त परीक्षण आख्या एक माह के भीतर प्रस्तुत करेगी।

उपरोक्त समिति को प्रपत्रों, अभिलेखों, पत्रावली आदि प्रस्तुत करने एवं समिति से समन्वय स्थापित करते हुए सहयोग प्रदान किये जाने हेतु कुलसचिव को निर्देशित किया गया।

कार्य परिषद् द्वारा उपरोक्त उच्च स्तरीय समिति के सदस्यों को बैठक में प्रतिभाग हेतु रू. 5000/– प्रति बैठक अध्यक्ष/सदस्य को दिये जाने, समिति के सहायतार्थ लिपिक को रू. 500/– प्रति बैठक भुगतान किये जाने पर सहमति व्यक्त की गयी। साथ ही समिति के सदस्यों के आवागमन एवं बैठकों पर व्यय होने वाले अवस्थापन एवं अनुषांगिक व्ययों पर भी अनुमोदन प्रदान किया गया। वित्त अधिकारी को यह भी निर्देशित किया गया कि उक्त व्ययों को आगामी वित्त समिति में संसूचित करें।

<u>बिन्दु संख्या–2 :</u>

विश्वविद्यालय के नवम् दीक्षान्त समारोह हेतु मुख्य अतिथि के अतिरिक्त नामों पर विचार।

<u>निर्णय :</u>

कुलसचिव द्वारा अवगत कराया गया कि कार्य परिषद् की आकस्मिक बैठक दिनांक 05 अगस्त, 2024 में लिये गये निर्णय के क्रम में संस्तुत गणमान्य व्यक्तियों को मुख्य अतिथि

4/–

के रूप में आमंत्रित किये जाने हेतु उनकी सहमति मांगी गयी थी। तत्क्रम में निम्नलिखित गणमान्य व्यक्तियों द्वारा नवम् दीक्षान्त समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में अन्यत्र व्यस्त होने के कारण अनुपलब्धता व्यक्त की गयी है:-

1. श्री अजीत डोभाल, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, भारत सरकार
2. प्रो0 अनिल सहस्त्रबुद्धे, अध्यक्ष-राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद्, बैंगलोर।
3. प्रो0 गनेशन कन्नाबिरन, निदेशक, राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद्, बैंगलोर।
4. प्रो0 टी0जी0 सीथाराम, अध्यक्ष-अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद्, नई दिल्ली।
5. श्री अज़ीम प्रेम जी, पूर्व अध्यक्ष-निदेशक मण्डल, विप्रो कम्पनी।

उक्त से कार्य परिषद् संसूचित हुयी तथा नवम् दीक्षान्त समारोह हेतु मुख्य अतिथि के अतिरिक्त नामों की सूची प्रस्तुत किये जाने हेतु निम्नवत् समिति का गठन किये जाने पर सर्वसम्मति से अनुमोदन प्रदान किया गया:-

1. अधिष्ठाता-शैक्षणिक
2. परीक्षा नियंत्रक
3. कुलसचिव

कार्य परिषद् द्वारा उपरोक्त समिति के माध्यम से उपलब्ध कराये जाने वाले मुख्य अतिथियों में नामों में से किन्हीं 03 नामों का चयन कर राज्यपाल सचिवालय को भेजे जाने हेतु मा0 कुलपति जी को अधिकृत किया गया।

<u>बिन्दु संख्या-3 :</u>

दिनांक 23, 24, 25, 30 एवं 31 को विश्वविद्यालय में पुलिस भर्ती परीक्षा का केन्द्र बनने के दृष्टिगत दीक्षान्त समारोह के सफल आयोजन में असुविधा होने के दृष्टिगत दीक्षान्त के आयोजन हेतु अक्टूबर, 2024 की तिथि निर्धारित किये जाने सम्बन्धी राज्यपाल सचिवालय को प्रेषित पत्र संख्या-2496/भा.विवि/कु.का/2024 दिनांक 22 अगस्त, 2024 पर कार्योत्तर अनुमोदन प्रदान किये जाने पर विचार।

<u>निर्णय :</u>

कार्य परिषद् द्वारा विश्वविद्यालय के राज्यपाल सचिवालय को प्रेषित पत्र संख्या-2496/भा.विवि/कु.का/2024 दिनांक 22 अगस्त, 2024 से संसूचित हुयी एवं कार्यात्तर अनुमोदन प्रदान किया गया।

अन्त में धन्यवाद ज्ञापित करते हुए कार्य परिषद् की बैठक समाप्त हुयी।

(डॉ0 महेश कुमार)
कुलसचिव/सचिव

(प्रो0 एन0बी0 सिंह)
कुलपति/अध्यक्ष

5/-